OFFICE OF JILLA PANCHAYAT (DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY) SATNA — ADMINISTRATIVE SANCTION - CONTD.

2.2 योजना राशि का निर्गम :- योजना राशि का निर्गम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2 (क्रमांक 13908/22 / आर.जी.एम. / एस.जे. / वि-8 / 95 / दि. 25-07-95 के अनुलग्नक क्रमांक 4 सहपठित अनुलग्नक क्रमांक 3 के अनुसार किया जावेगा । प्रशासनिक मद में उल्लेखित राशि का निर्गम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2 क्रमांक 13908/22 / आर.जी.एम. / एस.जे./ वि-8/ 95 / दिनांक 25-07-95 के अनुलग्नक क्रमांक 3 वर्णित बजट के अनुसार डी.आर.डी.ए. परियोजना अधिकारी मिली वाटर शेड तथा ग्रामस्तरीय वाटर शेड कमेटियो को किया जावेगा ।

2.3 वाटर शेड कमेटी, पी.आई. ए. तथा जिला स्तर पर व्यय की गई समस्त राशियां तथा प्राप्तियों का लेखा एवं कार्य की प्रगति का विवरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन के आदेश क्रं. 6 (क्रमांक 4636/22 / आर.जी.एम./वि-9 / 96 दिनांक 4 मार्च 96) के अनुसार अनिवार्य रूप से रखा जावेगा ।

2.4 चार वर्ष बाद राशियों का आहरण तथा व्यय राज्य शासन की अनुमति उपरान्त ही किया जा सकेगा ।

2.5 कंडिका एक के अनुसार मदवार दी गई प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाये । विभिन्न मदों के अन्तर्गत बचत की दशा में उसे अन्य मद में समायोजित नहीं किया जा सकेगा इस प्रकार की बचत को डी.आर.डी.ए. मे वापस किया जाना होगा । मदवार प्रावधानित राशि का किसी भी प्रकार से पुनर्वियोजन सम्भव नहीं है ।

2.6 परियोजना के कार्यो का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही किया जावेगा ।

03. तकनीकी स्वीकृतियां :-

3.1 परियोजना अधिकारी मिलीवाटर शेड द्वारा रू. 2.00 (दो लाख मात्र) की सीमा तक कार्यवार, यथा ट्रेचिंग , बोल्डर चैक इत्यादि तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगीं । इसकी प्रशासकीय स्वीकृति योजना की स्वीकृति में निहित हैं अतः प्रथक से नहीं दी जावेगी ।

3.2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 2.00 लाख से अधिक की संरचना की तकनीकी स्वीकृति जिला स्तरीय वाटर शेड सलाहकार समिति आदेश क्रमांक 2 दिनांक 25-07-95 के पैरा 7.1.1 में उल्लेखित जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों में तथा अन्य विकल्प के अभाव में मिशन संचालक की सहमति के उपरान्त दी जा सकेगी ।

04. योजना लागत की अधिकतम सीमा :-

4.1 वाटर शेड कार्य योजना का सकल व्यय रू. 4000/- प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा तथा इसमें पैरा 1 में उल्लेखित सभी मद सम्मलित हैं । योजना व्यय की उल्लेखित सीमा में परिवर्तन का अधिकार भारत सरकार द्वारा मानक परिवर्तन की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सम्भव है ।

Sd/-
कलेक्टर/मिशन लीडर
राजीव गांधी वाटर शेड मिशन
जला सतना म.प्र.

पृष्ठा. क्रं. / डी.एस.एम.ए. / आर.जी.एम. / 97-98 97 — सतना, दिनांक 8.1.97

प्रतिलिपि,

01. विकाय आयुक्त म.प्र. भोपाल ।
02. आयुक्त रीवां सम्भाग रीवां ।
03. संचालक राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन भोपाल ।
04. परियोजना अधिकारी मिलीवाटर शेड ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर/मिशन लीडर
राजीव गांधी वाटर शेड मिशन
जला सतना म.प्र.